न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2014/00279 दर्ज तिथिः–21.01.2014

1. मोहनलाल पुत्र हीराराम
   जाति जाट निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. रावताराम पुत्र उर्जाराम
2. मोडी पत्नी उर्जाराम (फौत होने से विलोपित)
3. अचलाराम पुत्र रावताराम
4. देवाराम पुत्र रावताराम
5. लुम्बाराम पुत्र रामाराम
6. लिखमाराम पुत्र पुराराम
7. लाखाराम पुत्र पुराराम
8. चुनी बेवा पुराराम
9. तेजाराम पुत्र दामाराम
10. भैराराम पुत्र दामाराम फौत के कायम मुकाम
    10/1 चिमारामपुत्र भैराराम
    10/2 खुमाराम पुत्र भैराराम
    10/3 इमियो पत्नी भैराराम
11. भीखाराम पुत्र दामाराम
12. केसाराम पुत्र दामाराम
13. उदाराम पुत्र दामाराम
14. हिमथाराम पुत्र भीखाराम
15. आईदानराम पुत्र भीखाराम
16. दीपाराम पुत्र खरथाराम के कायम मुकाम
    16/1 भोमाराम पुत्र दीपाराम
    16/2 नोजी पत्नी दीपाराम
    जाति जाट निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
17. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. गुड़ामालानी
18. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. गुड़ामालानी
19. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.आई. गुड़ामालानी
20. तहसीलदार गुड़ामालानी
21. जेठी देवी पुत्री रूपाराम
    जाति जाट निवासी जोगासर हाल गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

मोहनलाल बनाम रावताराम
2014 / 00279
निर्णय दिनांकः–21.07.2025

22. धमीदेवी पत्नी लालाराम
जाति जाट निवासी गोगाजी का मंदिर, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
..................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रिड़मलराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

&%fu.k;%&

निर्णय तिथिः–04.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 864 / 185.01 बीघा, (वर्तमान खसरा संख्या 1016 / 864 / 5.0420 है0, खसरा संख्या 1017 / 864 / 20.7932 है0) 864 / 2 / 5.08 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 864 / 2 / 0.8741 है0) मौजा रामजी का गोल फांटा पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य वाद पत्र के साथ शामिल परिशिष्ट क में दर्शाये गये हरे रंग की भूमि को वादी के नाम तथा लाल रंग से दर्शित भूमि को प्रतिवादीगण के नाम करते हुए विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 16 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 16 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 22 ने जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 864/185.01 बीघा, (वर्तमान खसरा संख्या 1016/864/5.0420 है0, खसरा संख्या 1017/864/20.7932 है0) 864/2/5.08 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 864/2/0.8741 है0) मौजा रामजी का गोल फांटा के साथ प्रतिवादी संख्या 21 एवं 22 की क्रयशुदा खातेदारी आराजी खसरा संख्या 864/3/0.0405 है0, 1032/860/9.7449 है0 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी का भी माफिक जमाबंदी हक हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्डस बंटवारा किया जावे।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किए गये।

- *आया वादी वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी खसरा संख्या 864/2/0.8741 है0 एवं खसरा संख्या 1016/864/5.0420 है0, 1017/864/20.7932 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा की भूमि में मुताबिक जमाबंदी हिस्सा खातेदारी घोषणा व तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी हैं?*

  ....वादी
- *आया वादी वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा खातेदारी घोषणा व तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वाद पत्र उल्लेखित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?*

  ....वादी
- *आया प्रतिवादी संख्या 21 के काउण्टर क्लेम में वर्णित संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1016/864/5.0420 है0, 1017/864/20.7932 है0, 864/2/0.8741 है0, 864/3/0.0405 है0, 1032/860/9.7479 है0 की भूमि में 10—00 बीघा की खातेदारी घोषणा व मौके पर कब्जा अनुसार तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी हैं?*

  ....प्रतिवादी संख्या 21
- *आया प्रतिवादी वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा खातेदारी घोषणा व तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात् वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वाद पत्र उल्लेखित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?*

  ....प्रतिवादी संख्या 21
- *आया प्रतिवादी संख्या 22 के प्रतिवाद में वर्णित संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1032/860 रकबा 9.7449 है0 में प्रतिवादी संख्या 22 का 1/6 हिस्सा की भूमि खातेदारी घोषित कर पूर्व में किये गये वहामी बंटवारा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पृथक खाता अंकन करवाने का अधिकारी है व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?*

  ....प्रतिवादी संख्या 22

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी	खाता संख्या 194 संवत् 2067—2070	प्रदर्श—01
नक्शा	आंशिक नक्शा खसरा संख्या 864 ग्राम रामजी का गोल	प्रदर्श—02
	बैचान दस्तावेज संख्या 2009000629 दिनांक 20.03.2009	प्रदर्श—03ए
	बैचान दस्तावेज संख्या 2009004015 दिनांक 05.12.2009	प्रदर्श—04ए
जमाबंदी	खाता संख्या 298 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—05
जमाबंदी	खाता संख्या 297 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—06
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 323 ग्राम रामजी का गोल फांटा	प्रदर्श—07

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
मोहनलाल पुत्र हीराराम	जाट	पीपराली तहसील गुड़ामालानी

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 297 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—01
नक्शा	खाता संख्या 297 ग्राम रामजी का गोल	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 306 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—03
नक्शा	खाता संख्या 306 ग्राम रामजी का गोल	प्रदर्श—04
जमाबंदी	खाता संख्या 298 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—05
नक्शा	खाता संख्या 298 ग्राम रामजी का गोल फांटा	प्रदर्श—06
जमाबंदी	खाता संख्या 287 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—07
नक्शा	खाता संख्या 287 ग्राम रामजी का गोल फांटा	प्रदर्श—08
जमाबंदी	खाता संख्या 299 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—09
नक्शा	खाता संख्या 299 ग्राम रामजी का गोल फांटा	प्रदर्श—10
जमाबंदी	खाता संख्या 306 संवत् 2071—2074	प्रदर्श—11
नक्शा	खाता संख्या 306 ग्राम रामजी का गोल फांटा	प्रदर्श—12
	बैचान दस्तावेज संख्या 2009003703 दिनांक 10.11.2009	प्रदर्श—13ए
	बैचान दस्तावेज 201501092000387 दिनांक 27.03.2015	प्रदर्श—14

7. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
जेठीदेवी पुत्री रूपाराम	जाट	गुड़ामालानी

8. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 28.04.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1089 दिनांक 04.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1089 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 19.06.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1683—1706 दिनांक 11.06.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1683—1706 दिनांक 11.06.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

9. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 864 रकबा 160 बीघा, 864/2 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, 864/3 रकबा 05 बिस्वा एवं 860 रकबा 60 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 225 बीघा 17 बिस्वा मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

10. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

11. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

13. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 864 रकबा 160 बीघा, 864/2 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, 864/3 रकबा 05 बिस्वा एवं 860 रकबा 60 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 225 बीघा 17 बिस्वा मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मोहनलाल पुत्र हीराराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 सियोलों का डेर खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी	रामजी का गोल फांटा	1017/864	2.509	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.509 है0				
जेठीदेवी पुत्री रूपाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 जोगासर खातेदार	रामजी का गोल	1016/864 1017/864	1.2950 0.3237	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.6187 है0				
घमीदेवी पत्नी लालाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 शहर तहसील बायतू खातेदार	रामजी का गोल फांटा	1032/860	1.6241	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6241 है0				
अचला पुत्र रावताराम हि0 133/2682 आईदानराम पुत्र भीखाराम हि0 133/2682	रामजी का गोल	1016/864 1016/864	0.9145 2.8325	बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

इमियों पत्नी भेराराम हि0 89/2682 उदा पुत्र दामाराम हि0 266/2682 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी केसा पुत्र दामाराम हि0 266/2682 खुमाराम पुत्र भेराराम हि0 89/2682 गोमतीदेवी पत्नी सताराम हि0 25/2682 चूनीदेवी पत्नी पूराराम हि0 89/2682 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी चिमाराम पुत्र भेराराम हि0 89/2682 तेजाराम पुत्र दामाराम हि0 266/2682 देवाराम पुत्र रावताराम हि0 133/2682 भीखा पुत्र दामा हि0 266/2682 रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 430/2682 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी लाखा पुत्र पूरा हि0 89/2682 लिखमा पुत्र पूराराम हि0 150/2682 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी हेमाराम पुत्र लिछमणाराम हि0 36/2682 सा0 बांटा हिमथाराम पुत्र भीखाराम हि0 133/2682 जाति जाट रहन—बीसीसीबी गुड़ामालानी	फांटा	1017/864	17.9605	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 21.7075 है0				
अचला पुत्र रावताराम हि0 1/24 आईदानराम पुत्र भीखाराम हि0 1/24 इमियो पत्नी भेराराम हि0 1/36 उदा पुत्र दामा हि0 1/12 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी केसा पुत्र दामा हि0 1/12 खूमा पुत्र भेरा हि0 1/36 गोमती पुत्र सताराम हि0 1/144 चूनीदेवी पत्नी पूराराम हि0 1/36 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी चिमा पुत्र भेराराम हि0 1/36 तेजा पुत्र दामाराम हि0 1/12 देवा पुत्र रावताराम हि0 1/24 भीखा पुत्र दामा हि0 1/12 मोडी पत्नी उरजाराम हि0 1/16 रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 24/108 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी लाखा पुत्र पूरा हि0 1/36 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी लिखमा पुत्र पूरा हि0 5/72 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी हिमथाराम पुत्र भीखाराम हि0 1/24	रामजी का गोल फांटा	864/2	0.8741	बा0दो0

कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुड़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट सा0 सगराणियों की बेरी खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 0.8741 है0				
आईदानराम पुत्र भीखाराम हि0 50/1003 इमियों पत्नी भेराराम हि0 60/1003 उदा पुत्र दामा हि0 90/1003 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी केसा पुत्र दामा हि0 150/1003 खूमाराम पुत्र भेराराम हि0 60/1003 गोमती पत्नी सताराम हि0 10/1003 चूनीदेवी पत्नी पूराराम हि0 17/1003 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी चिमाराम पुत्र भेराराम हि0 60/1003 तेजा पुत्र दामाराम हि0 80/1003 भीखा पुत्र दामाराम हि0 50/1003 मोडी पत्नी उरजाराम हि0 75/1003 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 174/1003 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी लाखा पुत्र पूरा हि0 17/1003 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी लिखम पुत्र पूरा हि0 60/1003 रहन—एसबीआई गुड़ामालानी हिमथाराम पुत्र भीखाराम हि0 50/1003 रहन—बीसीसीबी गुड़ामालानी	रामजी का गोल फांटा	1032/860	8.1208	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 8.1208 है0				
अचला पुत्र रावताराम हि0 1/24 जाति जाट उदा पुत्र दामा हि0 1/12 केसा पुत्र दामा हि0 1/12 गोमती पत्नी सताराम हि0 20/2513 चूनी पत्नी पूराराम हि0 1/36 तेजा पुत्र दामा हि0 1/12 देवा पुत्र रावता हि0 1/24 भेरा पुत्र दामा हि0 1/12 भीखा पुत्र दामा हि0 1/12 मोडी पत्नी उरजा हि0 1/16 रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 22391/120624 लाखा पुत्र पूरा हि0 1/36 लिखमा पुत्र पूरा हि0 19003/180936 सोनी पत्नी नेना हि0 1/12 जाति जाट सा0 देह खातेदार	रामजी का गोल फांटा	864/3	0.0405	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0405 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2014 / 00279 दर्ज तिथिः—21.01.2014

1. मोहनलाल पुत्र हीराराम
   जाति जाट निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. रावताराम पुत्र उर्जाराम
2. मोडी पत्नी उर्जाराम (फौत होने से विलोपित)
3. अचलाराम पुत्र रावताराम
4. देवाराम पुत्र रावताराम
5. लुम्बाराम पुत्र रामाराम
6. लिखमाराम पुत्र पुराराम
7. लाखाराम पुत्र पुराराम
8. चुनी बेवा पुराराम
9. तेजाराम पुत्र दामाराम
10. भैराराम पुत्र दामाराम फौत के कायम मुकाम
    10 / 1 चिमारामपुत्र भैराराम
    10 / 2 खुमाराम पुत्र भैराराम
    10 / 3 इमियो पत्नी भैराराम
11. भीखाराम पुत्र दामाराम
12. केसाराम पुत्र दामाराम
13. उदाराम पुत्र दामाराम
14. हिमथाराम पुत्र भीखाराम
15. आईदानराम पुत्र भीखाराम
16. दीपाराम पुत्र खरथाराम के कायम मुकाम
    16 / 1 भोमाराम पुत्र दीपाराम
    16 / 2 नोजी पत्नी दीपाराम
    जाति जाट निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
17. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. गुड़ामालानी
18. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. गुड़ामालानी
19. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.आई. गुड़ामालानी
20. तहसीलदार गुड़ामालानी
21. जेठी देवी पुत्री रूपाराम
    जाति जाट निवासी जोगासर हाल गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

22. धमीदेवी पत्नी लालाराम
जाति जाट निवासी गोगाजी का मंदिर, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
..................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रिड़मलराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

&¼ipk fMØh½&

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 864 रकबा 160 बीघा, 864/2 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, 864/3 रकबा 05 बिस्वा एवं 860 रकबा 60 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 225 बीघा 17 बिस्वा मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मोहनलाल पुत्र हीराराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 सियोलों का डेर खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी	रामजी का गोल फांटा	1017/864	2.509	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.509 है0				
जेठीदेवी पुत्री रूपाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 जोगासर खातेदार	रामजी का गोल	1016/864 1017/864	1.2950 0.3237	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.6187 है0				
घमीदेवी पत्नी लालाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 शहर तहसील बायतू खातेदार	रामजी का गोल फांटा	1032/860	1.6241	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6241 है0				
अचला पुत्र रावताराम हि0 133/2682 आईदानराम पुत्र भीखाराम हि0 133/2682	रामजी का गोल	1016/864 1016/864	0.9145 2.8325	बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

इमियों पत्नी भेराराम हि0 89/2682 उदा पुत्र दामाराम हि0 266/2682 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी केसा पुत्र दामाराम हि0 266/2682 खुमाराम पुत्र भेराराम हि0 89/2682 गोमतीदेवी पत्नी सताराम हि0 25/2682 चूनीदेवी पत्नी पूराराम हि0 89/2682 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी चिमाराम पुत्र भेराराम हि0 89/2682 तेजाराम पुत्र दामाराम हि0 266/2682 देवाराम पुत्र रावताराम हि0 133/2682 भीखा पुत्र दामा हि0 266/2682 रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 430/2682 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी लाखा पुत्र पूरा हि0 89/2682 लिखमा पुत्र पूराराम हि0 150/2682 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी हेमाराम पुत्र लिछमणाराम हि0 36/2682 सा0 बांटा हिमथाराम पुत्र भीखाराम हि0 133/2682 जाति जाट रहन–बीसीसीबी गुड़ामालानी	फांटा	1017/864	17.9605	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 21.7075 है0				
अचला पुत्र रावताराम हि0 1/24 आईदानराम पुत्र भीखाराम हि0 1/24 इमियो पत्नी भेराराम हि0 1/36 उदा पुत्र दामा हि0 1/12 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी केसा पुत्र दामा हि0 1/12 खूमा पुत्र भेरा हि0 1/36 गोमती पुत्र सताराम हि0 1/144 चूनीदेवी पत्नी पूराराम हि0 1/36 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी चिमा पुत्र भेराराम हि0 1/36 तेजा पुत्र दामाराम हि0 1/12 देवा पुत्र रावताराम हि0 1/24 भीखा पुत्र दामा हि0 1/12 मोडी पत्नी उरजाराम हि0 1/16 रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 24/108 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी लाखा पुत्र पूरा हि0 1/36 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी लिखमा पुत्र पूरा हि0 5/72 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी हिमथाराम पुत्र भीखाराम हि0 1/24	रामजी का गोल फांटा	864/2	0.8741	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट सा0 सगराणियों की बेरी खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 0.8741 है0				
आईदानराम पुत्र भीखाराम हि0 50 / 1003 इमियों पत्नी भेराराम हि0 60 / 1003 उदा पुत्र दामा हि0 90 / 1003 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी केसा पुत्र दामा हि0 150 / 1003 खूमाराम पुत्र भेराराम हि0 60 / 1003 गोमती पत्नी सताराम हि0 10 / 1003 चूनीदेवी पत्नी पूराराम हि0 17 / 1003 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी चिमाराम पुत्र भेराराम हि0 60 / 1003 तेजा पुत्र दामाराम हि0 80 / 1003 भीखा पुत्र दामाराम हि0 50 / 1003 मोडी पत्नी उरजाराम हि0 75 / 1003 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 174 / 1003 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी लाखा पुत्र पूरा हि0 17 / 1003 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी लिखम पुत्र पूरा हि0 60 / 1003 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी हिमथाराम पुत्र भीखाराम हि0 50 / 1003 रहन–बीसीसीबी गुड़ामालानी	रामजी का गोल फांटा	1032 / 860	8.1208	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 8.1208 है0				
अचला पुत्र रावताराम हि0 1 / 24 जाति जाट उदा पुत्र दामा हि0 1 / 12 केसा पुत्र दामा हि0 1 / 12 गोमती पत्नी सताराम हि0 20 / 2513 चूनी पत्नी पूराराम हि0 1 / 36 तेजा पुत्र दामा हि0 1 / 12 देवा पुत्र रावता हि0 1 / 24 भेरा पुत्र दामा हि0 1 / 12 भीखा पुत्र दामा हि0 1 / 12 मोडी पत्नी उरजा हि0 1 / 16 रावताराम पुत्र उरजाराम हि0 22391 / 120624 लाखा पुत्र पूरा हि0 1 / 36 लिखमा पुत्र पूरा हि0 19003 / 180936 सोनी पत्नी नेना हि0 1 / 12 जाति जाट सा0 देह खातेदार	रामजी का गोल फांटा	864 / 3	0.0405	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0405 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।
यह डिक्री आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:27:53 IST
Reason: SelfAttested